न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या 248 सन 2026

(CNR No. UPFT-01003034 2026)

राजेश सिंह चौहान पुत्र दुर्गा सिंह ग्राम सिठौरा थाना हथगांव जनपद फतेहपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. रामप्यारे पुत्र रहिमाल निवासी सातो धरमपुर थाना असोथर जनपद फतेहपुर।

.....विपक्षीगण

12.08.2026–

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापत्र 5ब पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को दिनांक 05.08.2026 को सुना जा चुका है। पत्रावली प्रार्थनापत्र 5ब अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर आदेश हेतु नियत है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

आवेदक राजेश सिंह चौहान की ओर से प्रार्थनापत्र 5ब मय शपथपत्र 6ब निगरानी योजित करने में कारित विलम्ब को क्षमा करने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया है कि निगरानीकर्ता को अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 22.7.2008 को विचारण हेतु तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया था, किन्तु उक्त आदेश की जानकारी उसे प्राप्त नहीं हो सकी। अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.2026 से स्पष्ट है कि दिनांक 22.07.2008 को अभियुक्त राजेश सिंह के विरुद्ध पूर्व में न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया जिसको अभी तक सम्बन्धित थाने द्वारा तामील नहीं कराया गया। जानकारी के आभाव में निगरानी दाखिल नहीं की जा सकी। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि निगरानीकर्ता को अवर न्यायालय के आदेश की जानकारी रही हो। माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जानकारी के अभाव में कालबाधित न माना जाये। आवेदक द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। अतएव विलम्ब को क्षमा करने की याचना की गयी है।

विपक्षी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुए प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है तथा कथन किया गया है कि मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र लगभग 17 वर्ष 11 माह 06 दिन के पश्चात अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत किया गया

है। प्रकरण अत्यन्त पुराना है। आवेदक को मामले की पूर्ण जानकारी है तथा आवेदक के आचरण के कारण आपराधिक मामले की अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत निगरानी योजित करने में हुए कारित विलम्ब को क्षमा करने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है एवं कथन किया गया है कि उसे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है। आवेदक की ओर से अपने कथन के समर्थन में विधि व्यवस्था मनोहरन बनाम शिवराजन एवं अन्य (2014) 4 एस०सी०सी० 163 एवं क्रिमिनल रिवीजन डिफेक्टिव संख्या 804 सन 2017 तुंगनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.11.2019 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया एवं तर्क किया गया है कि उक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को नरम रुख अपनाना चाहिए।

प्रकरण से सम्बन्धित विचारण न्यायालय में लम्बित वाद संख्या 2248 सन 2000 अपराध संख्या 07 सन 2000 राज्य बनाम राजेश सिंह (राजीव सिंह) धारा 304, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना थरियांव जिला फतेहपुर पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी मुकदमा रामप्यारे पुत्र रहिमाल निवासी ग्राम सातो धरमपुर थाना असोथर जिला फतेहपुर द्वारा उसके भतीजे शिवकुमार को बुरी तरह मारने पीटने व इलाज के दौरान उसकी उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19.01.2000 को थाना हथगांव जिला फतेहपुर में लिखित तहरीर प्रस्तुत की गयी, जिसे थाना हथगांव की चिक संख्या 8 सन 2000 मुकदमा अपराध संख्या शून्य सन 2000 धारा 304, 506 भारतीय दण्ड संहिता में अंकित किया गया, किन्तु घटनास्थल शीतलामाता मन्दिर के पास क्षेत्र थरियांव फतेहपुर होने के कारण थाना थरियॉव प्रेषित किया गया, जहॉ पर वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 19.01.2000 को थाना थरियांव में अपराध संख्या 07 सन 2000 अभियुक्त राजीव सिंह के विरुद्ध धारा 304, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना थरियांव जिला फतेहपुर की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हुई तथा प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचक ने प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की घटना से भिज्ञ गवाहों के बयान लिए एवं विवेचना सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्त राजीव सिंह पुत्र दुर्गा सिंह निवासी ग्राम सिठौरा थाना हथगांव जिला फतेहपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 304, 506 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियुक्त राजीव सिंह के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त राजीव सिंह के विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी किये गये।

मूल पत्रावली पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2006 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त राजीव सिंह के विरुद्ध जारी गैर जमानती

अधिपत्र पर इस नाम पते का कोई व्यक्ति न होने के बाबत आख्या प्राप्त होने पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रकरण के विवेचक व वादी को नोटिस जारी की गयी तथा आदेश दिनांक 25.10.2007 के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र व 82 की प्रासेस निर्गत किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया। मूल पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2008 से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अभियुक्त राजेश सिंह चौहान पुत्र दुर्गा सिंह है, गलती से राजीव सिंह प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोपपत्र में अंकित हो गया था, जिसके कारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.07.2008 के द्वारा आवेदक/अभियुक्त राजेश सिंह के विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि अभियुक्त राजेश सिंह के विरुद्ध न्यायालय द्वारा वर्ष 2010 में भी गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया है। दिनांक 09.05.2010 को बाद में दिनांक 13.06.2010 को गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया। अभियुक्त राजेश सिंह चौहान के विरुद्ध दिनांक 01.05.2010 को धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की गयी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त को इस मामले की जानकारी थी परन्तु वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक/अभियुक्त द्वारा आदेश दिनांक 22.07.2008 के पश्चात लगभग 18 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद निगरानी के माध्यम से चुनौती दी गयी है और निगरानी योजित करने में कारित विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में यह कथन किया है कि उसके विरुद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट अब तक तामील नहीं कराया जा सका है, इसलिए उसे आदेश दिनांक 22.07.2008 की जानकारी नहीं है, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण की घटना वर्ष 2000 की है तथा विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 22.07.2008 को अभियुक्त राजेश सिंह चौहान के विरुद्ध प्रथम बार गैर जमानती वारण्ट जारी किये जाने हेतु आदेश पारित किया है। आवेदक/अभियुक्त के मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के कारण मामले को सेशन सुपुर्द नहीं किया जा सका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र लगभग 17 वर्ष 11 माह पश्चात प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई आधार नहीं दर्शाया गया है, जिसके आधार पर आवेदक/अभियुक्त को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का लाभ प्रदान करते हुए निगरानी योजित करने में हुए कारित विलम्ब को क्षमा किया जा सके। जहॉ तक आवेदक की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं (उपरोक्त) का प्रश्न है। उक्त विधि व्यवस्थाओं के तथ्य प्रस्तुत मामले के तथ्यों से भिन्न है, जिसके कारण इस प्रकरण में लागू नहीं होती है।

अतएव प्रस्तुत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में आवेदक को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किये जाने का समुचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है तथा प्रार्थनापत्र आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक राजेश सिंह चौहान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 5ब अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त किया जाता है।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(सुधीर कुमार–V)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

दिनांक: 12.08.2026

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.08.17 15:32:17 +05'30'